



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2096]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 2017/श्रावण 6, 1939

No. 2096]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 2017/SRAVANA 6, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2017

(आय-कर)

का.आ. 2382(अ).—भारत गणराज्य की सरकार द्वारा जो कर संबंधी विषयों के पारस्परिक प्रशासनिक सहायता संबंधी अभिसमय की एक पक्षकार है, एक देश द्वारा दूसरे देश को रिपोर्ट के आदान-प्रदान पर एक बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकारी करार किया गया था, जिस पर तारीख 12 मई, 2016 को बीजिंग, चीन में हस्ताक्षर किए गए थे (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार कहा गया है और इसके साथ उपाबंध के रूप में संलग्न है);

और उक्त करार के प्रवृत्त होने की तारीख 12 मई, 2016 है जो वह तारीख है जो, उक्त करार की धारा 8 के पैरा 2 के अनुसरण में समन्वय निकाय सचिवालय की अधिसूचना की तारीख और वह तारीख जिसको अभिसमय प्रवृत्त किया गया है, के पश्चात् की तारीख है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 286 की उपधारा (9) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त करार, जैसा उपबंध में दिया गया है, और उक्त करार के सभी उपबंधों को, उक्त करार की धारा 8 के पैरा (2) के अनुसरण में भारत संघ में प्रभावी करने के लिए अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 75/2017/फा.सं. 500/15/2015 ए.पी.ए-1]

प्रज्ञा एस. सक्सेना, संयुक्त सचिव (एफटी एंड टीआर-1)

उपाबंध

एक देश द्वारा दूसरे देश को रिपोर्ट के आदान-प्रदान पर एक बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकारी करार

एक देश द्वारा दूसरे देश को रिपोर्ट (करार) के विनिमय पर बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकारी करार के हस्ताक्षरकर्ताओं की अधिकारिता क्षेत्र कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता संबंधी अभिसमय या प्रोटोकाल (अभिसमय) द्वारा यथा संशोधित कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता संबंधी अभिसमय का पक्षकार हो गया है या उनमें समाविष्ट राज्यक्षेत्र हो जाते हैं या जिन्होंने अभिसमय पर हस्ताक्षर कर दिए हैं या हस्ताक्षर करने के अपने आशय को अभिव्यक्त कर दिया है या यह अभिस्वीकार किया है कि अभिसमय को एक देश द्वारा दूसरे देश (सीबीसी) के रिपोर्टों के स्वतः विनिमय किए जाने से पूर्व उनके संबंध में प्रवृत्त और प्रभावी होना चाहिए;

देश जिसने अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं या करने का आशय अभिव्यक्त किया है जैसे वह अभिसमय का पक्षकार होता है करार के खंड 1 में यथापरिभाषित अधिकारिता क्षेत्र हो जाएगा।

अधिकारिता क्षेत्र जो अंतरराष्ट्रीय कर पारदर्शिता को बढ़ाने की वांछा करता है और आय के वैश्विक आंबटन के संबंध में सूचना के लिए उसके संबंधित कर प्राधिकारियों तक पहुंच में सुधार के लिए, संदत्त कर, और कर अधिकारिता जिसमें वार्षिक सीबीसी रिपोर्ट के स्वचालित विनिमय के माध्यम से उच्च स्तरीय अंतरण कीमत जोखिम और अन्य आधारीक क्षरण तथा लाभ स्थानांतरण संबंधी जोखिम, साथ ही साथ आर्थिक और सांख्यिकी विश्लेषण को निर्धारित करने की दृष्टि से, संचालित बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह (एमएनई) के मध्य आर्थिक क्रियाकलापों की अवस्थिति के कतिपय संकेतक समुचित होंगे;

संबंधित अधिकारिता क्षेत्र की विधियां यह अपेक्षा करती हैं या उनसे अपेक्षा की जाती है कि एमएनसी समूह की रिपोर्टिंग ईकाई सी.बी.सी. रिपोर्ट वार्षिक रूप से दाखिल करेगी।

सीबीसी रिपोर्ट वैश्विक मास्टर फाइल और स्थानीय फाइल के साथ तीन स्तरीय अवसंरचना का भाग होने के लिए आशयित है जिसमें कीमत दस्तावेजीकरण जो कीमत जोखिम निर्धारण विश्लेषण के दक्ष और सख्त अंतरण करने के लिए सुसंगत तथा विश्वसनीय सूचना के साथ कर प्रशासन प्रदान करेगा, के अंतरण के लिए साथ-साथ मानक पहुंच का प्रतिनिधित्व करेगी;

अभिसमय का अध्याय 3 कर प्रयोजनों के लिए सूचना के आदान-प्रदान जिसके अंतर्गत स्वचालित आधार पर सूचना का आदान-प्रदान भी है, को प्राधिकृत करता है और अधिकारिता क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारियों को ऐसे स्वचालित आदान प्रदान के क्षेत्र और रीति पर सहमत होना अनुज्ञात करता है;

अभिसमय का अनुच्छेद 6 उपबंधित करता है कि दो या अधिक पक्षकार सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान के लिए परस्पर सहमत हो सकते हैं, हालांकि सूचना का वास्तविक आदान प्रदान सक्षम प्राधिकारियों के मध्य द्विपक्षीय आधार पर होगा;

अधिकारिता क्षेत्र पहले सीबीसी रिपोर्ट के विनिमय के समय निम्नलिखित करेगा या उससे अपेक्षा की जाएगी, (i) समुचित सुरक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए कि करार के अनुसरण में प्राप्त सूचना गोपनीय रहे और उच्च – स्तरीय अंतरण कीमत जोखिम और अन्य आधारीक क्षरण तथा लाभ स्थानांतरण संबंधी जोखिम साथ ही साथ

आर्थिक और सांख्यिकी विश्लेषण को निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए, करार के खंड 5 के अनुसरण में समुचित हो, के लिए उपयोग किया जाए, (ii) प्रभावी विनियम संबंध के लिए अवसंरचना (जिसके अंतर्गत समय पर, सटीक और गोपनीय सूचना विनियम, प्रभावी और उत्तरदायी संसूचना और प्रश्नों को त्वरित हल करने की क्षमताओं और विनियम के बारे में सरोकार या विनियम के लिए अनुरोध तथा इस करार को धारा 4 के उपबंधों के प्रशासन के लिए स्थापित प्रक्रिया सम्मिलित है) और (iii) सीबीसी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए रिपोर्टिंग इकाई से अपेक्षित आवश्यक विधायन ;

जहां अधिकारिता, इस करार की धारा 6 के पैरा 1 के साथ, इस अभिसमय के अनुच्छेद 24 के पैरा 2 के अनुसरण में अवांछनीय आर्थिक परिणामों के मामलों वैष्टिक जिसमें कारबार के लिए सम्मिलित है, की समाप्ति के उद्देश्य से चर्चा करने के लिए कृत संकल्प है;

परस्पर करार कार्रवाहियां, उदाहरणतः दुहरे कर अभिसमय के आधार पर सक्षम प्राधिकारियों की अधिकारिताओं के मध्य निर्दिष्ट है, उन मामलों में लागू बनी रहेगी जहां सी बी सी रिपोर्ट इस करार के आधार पर बदली गई है ;

अधिकारिताओं के सक्षम प्राधिकारी इस करार को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय विधायी प्रक्रियाओं (यदि कोई हो) को बिना पूर्वाग्रह और गोपनीयता के अध्ययाधीन तथा कन्वेंशन में उपबंधित अन्य संरक्षण जिसमें उसके अधीन सूचना के आदन प्रदान का प्रयोग सीमित करने के उपबंध भी है, के लिए आशयित है ;

अब, अतः, सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित प्रकार से सहमत है :

खंड 1

परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित पदों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:
- (क) "अधिकारिता" पद से ऐसा देश या कोई राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके बाबत अभिसमय चाहे अनुच्छेद 28 के अनुसरण में अनुसमर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन के माध्यम से या अनुच्छेद 29 के अनुसरण में राज्यक्षेत्रीय विस्तार के माध्यम से प्रवृत्त और प्रभाव में है और जो इस करार का हस्ताक्षरकर्ता हो ;
- (ख) "सक्षम प्राधिकारी" से प्रत्येक ऐसी अधिकारिता के लिए व्यक्ति और अभिसमय से उपाबंध ख में सूचिबद्ध प्राधिकारी अभिप्रेत है ;
- (ग) "समूह" से ऐसे उद्योगों का संकलन अभिप्रेत है जो स्वामित्व या नियंत्रण के माध्यम से इस प्रकार संबंधित है कि प्रवर्तनीय लेखा सिद्धांतों के अधीन वित्तीय रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए समेकित वित्तीय कथन तैयार करने के लिए अपेक्षित है या इस प्रकार अपेक्षित होंगे यदि लोक प्रतिभूति विनियम पर व्यापार किए गए किन्हीं उद्योगों में इक्विटी हित है ;
- (घ) "बहुराष्ट्रीय उद्योग समूह" के ऐसा कोई समूह जो (i) दो या अधिक उद्यमों का करनिवास जिसके लिए यह भिन्न भिन्न अधिकारिता में हैं सम्मिलित है, या ऐसा उद्यम जो कर प्रयोजनों के लिए किसी एक अधिकारिता में निवासी है; सम्मिलित है और अन्य अधिकारिता में स्थाई स्थापन के माध्यम से किए गए कारबार के संबंध में कर के लिए अध्ययाधीन है और (ii) एम एन ई वर्जित समूह नहीं है ;
- (ङ) पद "वर्जित एम एन ई समूह" से ऐसा समूह जिसे रिपोर्टगत राजवित्तीय वर्ष के राजवित्तीय वर्ष के दौरान समूह का वार्षिक संचित समूह राजस्व के आधार पर सी बी सी रिपोर्ट फाइल करना अपेक्षित नहीं है ; जो अपने पूर्व संचित वित्तीय कथन में प्रदर्शित है, अधिकारिता द्वारा घरेलू विधि में परिभाषित सीमा के नीचे है और रिपोर्ट 2015 से सुसंगत जिसे उसमें ध्यान रख कर किए जाने वाले वाले 2020 पुनर्विलोकन में संशोधन किया जा सकता है ;

- (च) "संवैधानिक अस्तित्व" से (i) किसी समूह की कोई एम एन ई पृथक कारबार इकाई जिसमें वित्तीय रिपोर्ट प्रयोजनों के लिए संचित वित्तीय कथन में सम्मिलित है या जो इस प्रकार सम्मिलित है यदि लोक प्रतिभूति विनियम पर व्यापार करने वाले किसी एम एन ई समूह की ऐसे कारबार इकाई में इक्विटी हित है ; (ii) कोई पृथक कारबार इकाई जो आकार या सारभूत आधारों पर पूर्णतः एम आई समूह के संचित वित्तीय कथनों से वर्जित है (iii) एम एन ई समूह की पृथक कारबार इकाई के कोई स्थाई स्थापन जिसमें (i) या (ii) ऊपर दिए वित्तीय, रिपोर्ट, विनियामक कर रिपोर्ट C या आंतरिक प्रबंध नियंत्रण के प्रयोजनों को लिए ऐसे स्थाई स्थापन हेतु पृथक वित्तीय कथन के कारबार इकाई तैयार करती है; अभिप्रेत है ;
- (छ) "रिपोर्ट करने वाली अस्तित्व" से ऐसी संवैधानिक अस्तित्व अभिप्रेत है जो कर निवास की इसकी अधिकारिता में घरेलू विधि के आधार पर एम एन ई के निमित्त ऐसा करने ले लिए अपनी क्षमता में सी बी सी रिपोर्ट फाइल करता है ;
- (ज) "सी बी सी रिपोर्ट" पद से कर निवास की इसकी अधिकारिता की विधि के अनुसरण में रिपोर्ट अस्तित्व द्वारा वार्षिक रूप से फाइल किए जाने वाली और ऐसी विधियों के अंतर्गत मदों के अधीन आने वाले तथा 2015 के प्रारूप में दर्शाने वाली रिपोर्ट जो उसको ध्यान में रख आने वाले 2020 पुनर्विलोकन में संशोधन की जा सकती है, रिपोर्ट किए जाने के लिए अपेक्षित सूचना सहित, देश दर- देश रिपोर्ट अभिप्रेत है ;
- (झ) "2015 रिपोर्ट पद से अंतरण मूल्यांकन दस्तावेजीकरण और बेस इरोसन तथा लाभ शिफ्टिंग पर OECD/G20 क्रियान्वयन योजना के कृत्य 13 पर देश दर देश रिपोर्टिंग" अभिप्रेत है ;
- (ञ) "समन्वयकारी निकाय" से अभिसमय के ऐसा समन्वयकारी निकाय है जो अभिसमय के अनुच्छेद 24 के पैरा 3 के अनुसरण में अभिसमय के पक्षकारों के समक्ष प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों से गठित है ;
- (ट) "समन्वयकारी निकाय सचिवालय" से OECD सचिवालय जो समन्वयकारी निकाय को सहायता प्रदान करता है, अभिप्रेत है ;
- (ठ) "प्रभावी करार" से किन्हीं दो सक्षम प्राधिकारियों के संबंध में जो परस्पर सूचना के विनियम के लिए स्वतः अपने आशय को दर्शित कर चुके हैं और उनका धारा 8 के पैरा 2 की दशाओं का समाधान हो चुका है। इस लागू करार के सक्षम प्राधिकारियों की सूची OECD वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

2. अधिकारिता के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी समय इस करार के आवेदन के संबंध में, इस करार में कोई पद अन्यथा परिभाषित नहीं है ; जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो या समान अर्थ (घरेलू विधि द्वारा यथा अनुज्ञेय), के लिए सक्षम प्राधिकारी सहमत हो, वही अर्थ होंगे जो इस अधिकारिता की विधि के अधीन, उस समय हों, तो उस अधिकारिता को लागू कर विधियों के अधीन कोई अर्थ उस अधिकारिता की अन्य विधियों के अधीन पदों को दिए गए अर्थों पर अभिभावी होंगे।

धारा 2

एम एन ई समूह के संबंध में सूचना का आदान प्रदान

1. अभिसमय के अनुच्छेद 6, 21 और 22 के उपबंधों के अनुसरण में प्रत्येक प्राधिकारी प्रत्येक रिपोर्टकर्ता जो इस प्रभावी करार के संबंध में अधिकारिता के ऐसे सभी अन्य सक्षम प्राधिकारियों के साथ उसकी अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी है और जिसमें सी बी सी रिपोर्ट में सूचना के आधार पर रिपोर्टकर्ता अस्तित्व एम एन ई समूह के एक या अधिक संवैधानिक अस्तित्व कर प्रयोजनों के प्रयोजनों के लिए निवासी है या स्थाई स्थापन के

माध्यम से किए जाने वाले कारबार के संबंध में कर से अध्ययधीन है : अस्तित्व से प्राप्त सी बी सी रिपोर्ट स्वतःचालित आधार पर वार्षिक आदान प्रदान करेगा।

2. पहले पैरा में किसी बात के होते हुए भी अधिकारिता में सक्षम प्राधिकारी जिन्होंने यह दर्शित कर दिया है कि धारा 8 के पैरा 1(ख) के अनुसरण में उनको अधिसूचना के आधार पर गैर पारस्परिक अधिकारिता के रूप में सूचीबद्ध किए जाना हैं, पैरा 1 के अनुसरण में सी बी सी रिपोर्ट भेजेगा, लेकिन इस करार के अधीन सी बी सी रिपोर्ट प्राप्त नहीं करेगा। अधिकारिता के सक्षम प्राधिकारी जो गैर पारस्परिक अधिकारिता के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, पैरा 1 में विनिर्दिष्ट सूचना भेजेगा और प्राप्त करेगा। सक्षम प्राधिकारी, तथापि अधिकारिता जिसमें गैर पारस्परिक अधिकारिता की ऊपर निर्दिष्ट सूची भी सम्मिलित है को ऐसी सूचना नहीं भेजेगा।

खंड 3

समय और सूचना के आदान प्रदान की रीति

1. धारा 2 में सूचना के आदान प्रदान के प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट की रकम की मुद्रा विनिर्दिष्ट की जाएगी।
2. धारा 2 के पैरा 1 के संबंध में धारा 8 के पैरा 1(क) के अनुसरण में अधिसूचना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट तारीख पर या पश्चात् प्रारंभ यथाशीघ्र और उस राजवित्तीय वर्ष के अंतिम दिन के पश्चात् 18 मास के अपश्चात् होनेपर एम एन ई समूह के राजवित्तीय वर्ष के बाबत सी बी सी रिपोर्ट पहले आदान प्रदान की जाएगी। पूर्ववर्ती को छोड़ते हुए, कोई सी बी सी रिपोर्ट केवल आदान प्रदान करना अपेक्षित है यदि दोनो सक्षम प्राधिकारी पर करार प्रभावी है और उनकी अपनी अधिकारिताएं प्रभावी विधायन में जो उस राजवित्तीय वर्ष के संबंध में जिससे रिपोर्टें संबंधित है, के लिए सी बी सी रिपोर्ट फाइल करना अपेक्षित है और धारा 2 के लिए उपबंधित आदान प्रदान के कार्यक्षेत्र से संगत है।
3. पैरा 2 के अध्यधीन सी बी सी रिपोर्ट का यथाशीघ्र और एम एन ई समूह जिससे सी बी सी रिपोर्ट संबंधित है, को राजवित्तीय वर्ष के अंतिम दिन के पश्चात् 15 मास से अपश्चात् आदान प्रदान किया जाना है।
4. सक्षम प्राधिकारी विस्तार किए जाने वाली मार्कअप भाषा में समान स्कीम के माध्यम से रिपोर्ट का स्वचालित रूप से आदान प्रदान किया जाएगा
5. सक्षम प्राधिकारी कार्य करेगा और इलैक्ट्रानिक डाटा पारेषण जिसमें मानकीकरण अधिकतम और जटिलताएं तथा लागत न्यूनतम करने की दृष्टि से कोडीकरण मानक भी है, के लिए एक या अधिक पद्धतियों पर सहमत होगा तथा ऐसे मानकीकृत पारेषण और कोडीकरण पद्धतियों का समन्वयकारी निकाय सचिवालय अधिसूचित करेगा।

खंड 4

अनुपालन और प्रवर्तन में सहयोग

एक प्राधिकारी अन्य सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा जब प्रथम निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के संबंध में यह विश्वास करने का कारण हो कि अन्य सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता में कर प्रयोजन के लिए निवासी है तो यह त्रुटि या गलत या अधूरी सूचना से रिपोर्ट लेगा, वह सी बी सी रिपोर्ट फाइल करने की इसकी बाध्यता के बाबत रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व का गैरअनुपालन है। अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी अपनी घरेलू विधि के अधीन त्रुटियों पर या नोटिस में वर्णित गैरअनुपालन पर ध्यान देने के लिए उपलब्ध समुचित उपाय करेगा।

खंड 5

गोपनीयता डाटा रक्षोपाय और समुचित प्रयोग

1. सभी सूचनाओं का आदान प्रदान अभिसमय में उपबंधित गोपनीयता नियमों और अन्य रक्षोपाधायों जिसमें सूचना के आदान प्रदान के प्रयोग को सीमित करने के उपबंध भी है, के अध्यधीन होगा।

2. पैरा के निबंधनों के अतिरिक्त, सूचना का प्रयोग इस पैरा में वर्णित अनुज्ञेय प्रयोगों के लिए और सीमित होगा। विशिष्टतया, सी बी सी रिपोर्ट के रूप में प्राप्त सूचना उच्च स्तरीय अंतरण मूल्य लगाने, आधार कटाव, और लाभ स्थानांतरण से संबंधित जोखिम के निर्धारण के लिए और जहां आर्थिक और सांख्यिकी विश्लेषण के लिए उचित हो, प्रयोग किए जाएंगे। सूचना व्यक्तिगत व्यवहार के विस्तृत अंतरण मूल्य लगाने और कुल कृत्यिक विश्लेषण पर आधारित मूल्य तथा पूर्ण तुलनात्मक विश्लेषण के स्थान पर प्रयोग नहीं की जाएगी। यह माना जा चुका है कि सी बी सी रिपोर्ट की सूचना अपने आप में निश्चात्मक साक्ष्य नहीं है कि अंतरण मूल्य उचित है या नहीं और परिणामस्वरूप अंतरण मूल्य समायोजन सी बी सी रिपोर्ट पर आधारित नहीं होगी। स्थानीय कर प्रशासन द्वारा इस पैरा के उल्लंघन में किए गए अनुचित समायोजन किसी सक्षम प्राधिकारी की कार्यवाही में कर लिए जाएंगे। ऊपर किसी बात के होते हुए एम एन ई समूह के अंतरण मूल्य लगाने की व्यवस्था या कर संपरीक्षा के प्रक्रम में अन्य कर मामलों में अन्य पूछताछ करने के लिए आधार के रूप में सी बी सी रिपोर्ट डाटा के प्रयोग पर कोई प्रतिषेध नहीं होगा और परिणामस्वरूप संवैधानिक अस्तित्व के कर योग्य आय के लिए समुचित समायोजन किया जा सकेगा।

3. प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञेय की सीमा तक सक्षम प्राधिकारी, ऊपर निर्दिष्ट पैराओं के गैर अनुपालन के बाबत किए गए किन्हीं उपायों के साथ साथ इस धारा के पैरा 1 और 2 के गैर अनुपालन के किसी मामले जिसमें उपचार के उपाय भी है, के तुरंत बाद समन्वयकारी निकाय सचिवालय को अधिसूचित करेगा। समन्वयकारी निकाय सचिवालय, सभी सक्षम प्राधिकारियों जिनके बाबत प्रथम निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के प्रभाव में यह करार है, अधिसूचित करेगा।

खंड 6

परामर्श

1. संवैधानिक अस्तित्व की करा योग्य आय के समायोजन की दशा में, सी बी सी रिपोर्ट में डाटा पर आधारित और पूछताछ के परिणाम स्वरूप, अवांछनीय आर्थिक परिणाम जिनमें यदि ऐसे मामले विनिर्दिष्ट कारबार के लिए उठते हैं, सम्मिलित है, तो अधिकारिता जिसमें प्रभावित संवैधानिक अस्तित्व निवासी है, का सक्षम प्राधिकारी परस्पर परामर्श और मामले के हल के उद्देश्य से चर्चा करेंगे।

2. इस करार के अनुपालन या निर्वाचन में यदि कोई कठिनाईयां उत्पन्न होता है तो सक्षम प्राधिकारी इस करार के पूरा करने को सुनिश्चित करने हेतु समुचित उपाय विकसित करने के लिए एक या अधिक सक्षम प्राधिकारियों से परामर्श का निवेदन करेगा। विशिष्टतया एक सक्षम प्राधिकारी प्रथम निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के इस अवधारण से पहले कि अन्य प्राधिकारी से सी बी सी रिपोर्ट आदान प्रदान के लिए प्रणालीगत असफलता है, दूसरे सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करेगा। जहां प्रथम निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी ऐसा अवधारण करता है, समन्वयकारी निकाय सचिवालय को जिसको संबंध अन्य सक्षम प्राधिकारी को सूचित किए जाने के पश्चात्, अधिसूचित करेगा। प्रवृत्त विधि द्वारा अनुज्ञेय की सीमा तक ; यदि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो अन्य सक्षम प्राधिकारियों को सम्मिलित कर सकता है और यदि वह समन्वयकारी निकाय सचिवालय के माध्यम से करना चाहता है, तो इस करार के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुद्दे का स्वीकार्य हल ढूँढेगा।

3. सक्षम प्राधिकारी जिसने पैरा 2 के अनुसरण में परामर्श का निवेदन किया है, यह सुनिश्चित करेगा जैसा उचित हो कि समन्वयकारी निकाय सचिवालय किसी निष्कर्ष पर पहुंच चुका है तथा वह उपाय जो विकसित किए गए थे, जिसमें ऐसे निष्कर्ष या उपायों की अनुपस्थिति भी सम्मिलित है तथा समन्वयकारी निकाय सचिवालय सभी सक्षम प्राधिकारियों तथा उनको भी जिन्होंने ऐसे किसी परामर्श या उपायों के लिए परामर्श में भाग नहीं लिया था, को अधिसूचित करेगा। कर दाता विनिर्दिष्ट सूचना जिसमें सम्मिलित करदाता की पहचान प्रकट हो जाए, नहीं दी जाएगी।

खंड 7**संशोधन**

यह करार सभी सक्षम प्राधिकारियों जिन पर यह प्रभावी है, के लिखित करार द्वारा सहमति द्वारा संशोधित किया जा सकता है। जब तक अन्यथा सहमत न हो ऐसा कोई संशोधन ऐसे लिखित करार के अंतिम हस्ताक्षर की तारीख के पश्चात् एक मास की अवधि के अवसान के अनुवर्ती मास के प्रथम दिन को लागू होंगे।

खंड 8**करार की अवधि**

1. सक्षम प्राधिकारी, इस करार के हस्ताक्षर के समय पर या उसके पश्चात् यथा संभव शीघ्र समन्वयकारी निकाय सचिवालय के लिए अधिसूचित करेगा :

- (क) यह कि उनकी अधिकारिता सी बी सी रिपोर्ट फाइल करने के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व की अपेक्षा के लिए आवश्यक विधि में है और यह कि अधिकारिता इस अधिसूचना में नियत तारीख के आरंभ पर या अपश्चात् रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के राजवित्तीय वर्ष के बाबत सी बी सी रिपोर्ट को फाइल करने की अपेक्षा करेगा ;
- (ख) क्या अधिकारिता और पारस्परिक अधिकारिता की सूची में सम्मिलित की जानी है, विनिर्दिष्ट करें ;
- (ग) इलैक्ट्रानिक डाटा जिसमें कोडीकरण भी है, के लिए एक या अधिक पद्धति, विनिर्दिष्ट करें;
- (घ) अभिसमय के अनुच्छेद 22 और इस करार की धारा 5 के पैरा 2 में यथावर्णित सी बी सी रिपोर्ट में सूचना के समुचित प्रयोग के साथ साथ इस करार की धारा 5 और पैरा 1 के अनुसरण में अपेक्षित गोपनीयता और डाटा रक्षोपाय मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विधिक फ्रेमवर्क या अवरचना में है और इस करार के उपाबंध के रूप में संलग्न संपूर्ण गोपनीयता और डाटा रक्षोपाय प्रश्नोत्तर को संलग्न को; और
- (ङ.) जिसमें (i) सक्षम प्राधिकारियों जिनके बाबत यह करार आशियत है, अधिकारिता की सूची, जो प्रवृत्त प्रविष्टि के लिए राष्ट्रीय विधायन प्रक्रिया (यदि कोई हो) का अनुसरण करते हुए ; (ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषणा जो सभी अन्य सक्षम प्राधिकारियों पर प्रभावी इस करार के लिए आशयित है और जो धारा 8 के पैरा 1(ङ.) के अधीन अधिसूचना प्रदान करते हैं ;

सक्षम प्राधिकारी तत्परता से समन्वयकारी निकाय सचिवालय अधिसूचना के उपरनिर्दिष्ट अर्न्तवस्तु से किसी पश्चात्वर्ती परिवर्तन के साथ अधिसूचित करेगा।

2. यह करार निम्नलिखित तारीखों के बाद दो सक्षम प्राधिकारियों के मध्य प्रवृत्त होगा : (i) उस तारीख को जिसको दो सक्षम प्राधिकारियों में से दूसरा पैरा 1 जिसमें उपपैरा 1(ङ.) के अनुसरण में अन्य सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता भी है, के अधीन समन्वयकारी निकाय सचिवालय की अधिसूचना प्रदत्त कर चुका है और (ii) उस तारीख जिसको अभिसमय प्रवृत्त हुआ तथा दोनों अधिकारिताओं के लिए प्रभावी हुआ।

3. सक्षम प्राधिकारियों जिन्होंने करार पर हस्ताक्षर किए हैं और जिन सक्षम प्राधिकारियों के मध्य यह प्रभावी हैं, समन्वयकारी निकाय सचिवालय OECD वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। इसके अतिरिक्त समन्वयकारी निकाय सचिवालय पैरा 1(क) और (ख) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त सूचनाएं OECD वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

4. समन्वयकारी निकाय सचिवालय को लिखित में अनुरोध पर पैरा 1(ग) से (ङ.) के अनुसरण प्रदत्त सूचनाएं अन्य हस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी।

5. सक्षम प्राधिकारी दूसरे सक्षम प्राधिकारी को लिखित में यह नोटिस देते हुए कि यह अवधारित किया गया है कि इस करार के दूसरे निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण गैर अनुपालन किया गया है; इस करार के अधीन सूचना के आदान प्रदान को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। ऐसा अवधारण करने से पहले, प्रथम निर्दिष्ट सक्षम

प्राधिकारी अन्य सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करेगा। इस पैरा के प्रयोजनों के लिए महत्वपूर्ण गैर अनुपालन से इस करार की धारा 5 के पैरा 1 और 2 तथा धारा 6 के पैरा 1 और /या इस करार के अधीन यथा अपेक्षित समय पर या ठीक सूचना के देने में सक्षम प्राधिकारी की असफलता के साथ साथ अभिसमय के तत्स्थानी उपबंधों का गैर अनुपालन अभिप्रेत है, निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू होगा और तब तक रहेगा जब तक दूसरा निर्दिष्ट प्राधिकारी दोनों सक्षम प्राधिकारियों को स्वीकार्य रीति में यह न स्थापित कर दे कि कोई महत्वपूर्ण गैर अनुपालन नहीं है। द्वितीय निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी ने सुसंगत उपायों को अंगीकारकर लिया है जो महत्वपूर्ण अनुपालन को बताता है। प्रवृत्त विधि द्वारा अनुज्ञेय सीमा तक, सक्षम प्राधिकारी स्वयं या समन्वयकारी निकाय सचिवालय के माध्यम से अन्य सक्षम प्राधिकारियों को मुद्दे में स्वीकार्य हल को ढूँढने की दृष्टि से इस करार को प्रभाव देने के लिए ऐसा चाहता है।

6. एक सक्षम प्राधिकारी इस करार में इसकी भागीदारी का समन्वयकारी निकाय सचिवालय को लिखकर पर्यवसान नोटिस द्वारा किसी विशिष्ट सक्षम प्राधिकारी के बाबत पर्यवसान कर सकता है। ऐसा पर्यवसान, पर्यवसान नोटिस की तारीख के बाद 12 मास की अवधि के अवसान के अनुवर्ती मास के पहले दिन से प्रभावी होगा। पर्यवसान की दशा में इस करार के अधीन पहले प्राप्त सभी सूचनाएं गोपनीय और अभिसमय की शर्तों को अध्यधीन होगी।

खंड 9

समन्वयकारी निकाय सचिवालय

करार में जब तक अन्यथा प्रदत्त न हो, तब तक समन्वयकारी निकाय सचिवालय किसी अधिसूचनाओं जो इस करार के अधीन प्राप्त हुई है के सक्षम प्राधिकारियों को अधिसूचित करेगा और जब सक्षम प्राधिकारी करार पर हस्ताक्षर करेगा तब करार के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को नोटिस देगा।

अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों में पाठ समान रूप से प्रधिकृत किया गया।